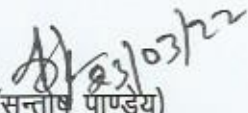


लीज तथा लीज अवधि प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा रेलवे उपरिगामी सेतु निर्माण कार्य हेतु वांछित भूमि लीज पर हस्तान्तरित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः लीज अवधि प्रमाण पत्र लागू नहीं होता है। प्रस्तावित वन भूमि केवल प्रस्ताव के अनुसार 0.1021 हे० संरक्षित वन भूमि पीलीभीत-मैलानी रेल खण्ड के चैनेज 258/11 एवं 258/12 के मध्य आवश्यक है।


(सन्तोष पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
पीलीभीत।

()
प्रभागीय निदेशक
सा० वन प्रभाग, पीलीभीत
सामाजिक वानिकी प्रभाग
पीलीभीत